न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 94/2020
3. उनवान : सरकार जरिये ओम प्रकाश मट्टू , कृषि अधिकारी

बनाम

1. सुरेश कुमार सैनी पुत्र श्री भंवर लाल सैनी निवासी वार्ड नं0 17 शाहपुरा जयपुर। मैसर्स केवीएसएस शाहपुरा।
2. बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा निवासी शाहपुरा जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 30.01.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी कृषि अधिकारी(फसल) एवं निरीक्षक उर्वरक कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0) शाहपुरा, जयपुर श्री ओमप्रकाश मट्टू द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 23–09–2016 को केवीएसएस शाहपुरा गोदाम पर पंहुचे। मौके पर श्री सुरेश कुमार सैनी उपस्थित मिले। मौके पर 500 बैग SSP पटेल फास्केम पाये गये। उक्त SSP को कार्यालय कृषि निदेशालय जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक 3637–3700 दिनांक 22.08.2016 द्वारा 1/16/G/03 अजमेर प्रयोगशाला द्वारा अमानक घोषित किया गया। SSP अमानक पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 19ए के अन्तर्गत जब्त किया गया। उक्त जब्ती उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 का उल्लंघन पाये जाने पर नमूना अमानक पाये जाने पर की गई। प्रार्थना पत्र के साथ मौका पर्चा, नमूना रिपोर्ट, फर्द जप्ती, सुपुर्दगी पत्र आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात कर उचित माध्यम से करवाकर राशि राजकोष में जमा कराने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 2 को साधाराण नोटिस भेजे गये परन्तु तामील नहीं हो पाये। रजि0 नोटिस भेजे गये जो एक माह व्यतीत होने पर लौटकर प्राप्त नहीं हुये। आज भी बारम्बार आवाज दिलाई गई बावजूद अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के विरुद्व एकतरफा कार्यवही अमल में लाये जाने के आदेश दिये गये।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 30.01.2025 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अप्रार्थीगण से SSP पटेल फास्केम के नमूने परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 22.08.2016 में अमानक पाये जाने पर कुल 500 बैग SSP पटेल फास्केम को दिनांक 23–09–2016 को जब्त किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। जिससे स्पष्ट है कि वे प्रकरण मे कोई कार्यवाही नहीं चाहते और अमानक SSP पटेल फास्केम का क्रय विक्रय कर रहे थे। ऐसी स्थिति में फर्दानुसार प्रार्थी द्वारा जब्त कुल 500 बैग SSP पटेल फास्केम को राजसात किया जाता है। निरीक्षक उर्वरक/बीज/कीटनाशी/रसायन एवं कृषि अधिकारी (फसल) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार शाहपुरा जिला जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निरतारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।